



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

<http://rajpatrahimachal.nic.in>

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार, 22 जुलाई, 2017 / 31 आषाढ़, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

*[Authoritative English Text of Department Notification No. TCP-F(5)-2/2005 dated 15.7.2017 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].*

**TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT**

NOTIFICATION

*Shimla-2, the 15<sup>th</sup> July, 2017*

**No. TCP-F(5)-2/2005.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 66 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12

83—राजपत्र / 2017—22—07—2017

(4167)

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171 001**

## NOTIFICATION

*Shimla, the 5th July, 2017*

**No. HHC/Admn.6 (18)part.**—In exercise of the powers vested in it under section 13 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has been pleased to confer the powers of Special Judicial Magistrate Second Class, upon the following IAS Probationers allocated to this State on completion of their IAS Professional Course Phase-1 training at LBSNAA, Mussoorie to be exercised by them within their jurisdictions with immediate effect:—

Sl. No.	Name of IAS Probationer	District
1.	Sh. Amit Kumar Sharma	Mandi
2.	Sh. Anurag Chander Sharma	Chamba
3.	Sh. Jatin Lal	Kangra
4.	Sh. Rahul Kumar	Bilaspur
5.	Ms. Torul S. Raveesh	Solan

By order,  
Sd/-  
Registrar General.

## निर्वाचन विभाग

## अधिसूचना

शिमला-171009, 20 जुलाई, 2017

**संख्या 5-59/2015-ईएलएन.**—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग में निर्वाचन कानूनगो, वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न **उपाबन्ध-“क”** के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, निर्वाचन कानूनगो, वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.**—(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या: 5-23/86-ईएलएन., तारीख 29 अक्टूबर, 2005 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, निर्वाचन कानूनगो, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2005 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित/—  
सचिव (निर्वाचन)।

उपाबन्ध "क"

हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग में निर्वाचन कानूनगो, वर्ग—III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.—निर्वाचन कानूनगो
2. पद (पदों) की संख्या.—70 (सत्तर)
3. वर्गीकरण.—वर्ग—III, (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं
4. वेतनमान.—(i) नियमित पदधारियों के लिए पे बैंड रु0 5910—20200/- रूपए जमा 3000/- रूपए ग्रेड पे।  
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.— स्तम्भ संख्या 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 8910/- रूपए प्रतिमास।
5. "चयन" पद अथवा "अचयन" पद.—लागू नहीं
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.—18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

**टिप्पणी.**—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—(क) अनिवार्य अर्हताएं.—किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से स्नातक होना चाहिए।

(ख) वांछनीय अर्हताएं.—हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.—

आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं।

9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परीक्षा नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धति.— भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकण्डमेंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.— शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा; ऐसा न होने पर सैकण्डमेंट आधार पर।

11. प्रोन्नति, सैकण्डमेंट, स्थानान्तरण की दशा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकण्डमेंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.— राजस्व/भू-एकत्रीकरण विभाग/राजस्व विभाग के भू-व्यवस्था कार्यालयों के कानूनगो में से सैकण्डमेंट आधार पर और ऐसा न होने पर राजस्व/भू-एकत्रीकरण विभाग/राजस्व विभाग के भू-व्यवस्था कार्यालयों के पटवारियों में से सैकण्डमेंट आधार पर जिनका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.—लागू नहीं।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.— सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षा, जिसकी पद्धति/पाठ्यक्रम आदि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सहबद्ध सेवा/पद (वर्ग-II/वर्ग-III, अराजपत्रित) परीक्षा नियम, 2016 के साथ संलग्न अपैडिक्स में दिया गया है, के आधार पर किया जाएगा।

**15(क). संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.**—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदात्मक नियुक्तियों नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएंगी:—

(I) **संकल्पना.**—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग में निर्वाचन कानूनगो को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) **पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.**—मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) **संविदात्मक उपलब्धियां.**—संविदा आधार पर नियुक्त निर्वाचन कानूनगो को 8910/—रूपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 267/— रूपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) **नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.**—मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) **चयन प्रक्रिया.**—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षा, जिसका पद्धति/पाठ्यक्रम आदि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सहबद्ध सेवा/पद (वर्ग-II/वर्ग-III, अराजपत्रित) परीक्षा नियम, 2016 से संलग्न अपेंडिक्स में दिया गया है, के आधार पर किया जाएगा।

(V) **संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.**—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) **करार.**—अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न **उपाबन्ध-ख** के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) **निबन्धन एवं शर्तें.**—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 8910/— रूपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 267/— रूपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की दर से वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे कि वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी।

संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0, आदि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाए अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा तथा आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0-एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

**16. आरक्षण.**—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्ग के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

**17. विभागीय परीक्षा.**—लागू नहीं।

**18. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी।

निर्वाचन कानूनगो और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री.....पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है), के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त 'प्रथम पक्षकार' को लगाया है और 'प्रथम पक्षकार' ने निर्वाचन कानूनगो के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:-

1. यह कि प्रथम पक्षकार निर्वाचन कानूनगो के रूप में.....से प्रारम्भ होने और .....को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा आखिरी कार्य दिवस अर्थात् .....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 8910/- रूपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0, आदि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाए अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा तथा आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा।



तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित दिन, मास व वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:-

1. ....  
 .....  
 .....  
 (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

1. ....  
 .....  
 .....  
 (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English text of this Department's Notification No. 5-59/2015-ELN, dated 20-07-2017 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

**ELECTION DEPARTMENT**

**NOTIFICATION**



**No. 5-59/2015-ELN.**— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Election Kanungo, Class-III (Non-Gazetted) Non-Ministerial Services in the Election Department, Himachal Pradesh, as per Annexure-“A” attached to this notification, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Election Department, Election Kanungo, Class-III (Non-Gazetted) Non-Ministerial Services, Recruitment & Promotion Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

**2. Repeal and savings.**—(1) The Himachal Pradesh Election Department, Election Kanungo, Class-III, (Non-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2005 notified *vide* this department's notification No. 5-23/86-ELN, dated 29-10-2005 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made, or anything done or any action taken under these rules, so repealed under sub-rule 2(1) *supra* shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,  
Sd/-  
Secretary (Election).

ANNEXURE-“A”

**RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ELECTION  
KANUNGO, CLASS-III (NON-GAZETTED) (NON-MINISTERIAL SERVICES) IN THE  
DEPARTMENT OF ELECTION, HIMACHAL PRADESH**

- 1. Name of the post.**—Election Kanungo
- 2. Number of posts.**—70 (Seventy)
- 3. Classification.**—Class-III (Non-Gazetted) (Non-Ministerial Services)
- 4. Scale of pay.**— (i) *Pay band for regular incumbents:* Rs. 5910-20200/- + Rs.3000/- Grade Pay.  
(ii) *Emoluments for contract employees :* Rs. 8910/- P.M. as per details given in Col. No.15-A.
- 5. Whether “Selection” post or “Non-Selection” post.**—Not applicable.
- 6. Age for direct Recruitment.**—Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *ad hoc* or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc* basis or on contract basis had become overage on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such *ad hoc* or contract appointment:

Provided further that the upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations & Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous bodies.

**Note.**—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

**7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).**—  
(a) *Essential Qualification(s)*: Should be a Graduate from a recognized University or from an institution duly recognized by the State/Central Government.

(b) *Desirable Qualifications* : Knowledge of custom, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

**8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of promotee(s).**—

*Age* : Not applicable.

*Educational Qualification* : Not applicable.

**9. Period of probation, if any.**—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

**10. Method(s) of recruitment— whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.**—100 % by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be, failing which on secondment basis.

**11. In case of recruitment by promotion/ secondment/ transfer, grade(s) from which promotion/ secondment/transfer is to be made.**—On secondment basis from amongst the Kanungos of Revenue/Consolidation of Holdings Department/ Settlement Offices of Revenue Department failing which on secondment basis from amongst the Patwaries of Revenue/

Consolidation of Holdings Department/ Settlement Offices of Revenue Department with 10 years regular service or regular combined with continuous *adhoc* service rendered, if any, in the grade.

**12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?—**Not applicable.

**13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (HPPSC) is to be consulted in making recruitment.—**As required under the law.

**14. Essential requirement for a direct recruitment.—**A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.

**15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—**Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment on regular basis shall be made on the basis of competitive examination to be conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission the pattern/syllabus etc. of which is as given in the Appendices attached to the Himachal Pradesh Subordinate Allied Services/Posts(Class-II/Class-III, Non-Gazetted) Examination Rules, 2016.

**15-A. Selection for appointment to post by contract appointment.—**Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

**(I) Concept.—**(a) Under this policy, the Election Kanungo in Department of Election, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for further extension/renewal of contract period on year to year basis, the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

**(b) Posts falls within the purview of H.P. Public Service Commission.—**The Chief Electoral Officer, H.P. after obtaining the approval of the Government fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Public Service Commission.

**(c)** The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Recruitment and Promotion Rules.

**(II) Contractual Emoluments.—**The Election Kanungo, appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 8910/-P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band plus grade Pay). An amount of Rs. 267/- (3% of the minimum of pay band plus grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

**(III) Appointing/Disciplinary Authority.—**The Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh will be the appointing and disciplinary authority.

**(IV) Selection Process.—**Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of competitive examination to be conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission the pattern/syllabus etc. of which is as given in the Appendices attached to the Himachal Pradesh Subordinate Allied Services/Posts(Class-II/Class-III, Non-Gazetted) Examination Rules, 2016.

**(V) Committee for Selection of Contractual Appointment.**—As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* H.P. Public Service Commission from time to time.

**(VI) Agreement.**—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per **Annexure-“B”** appended to these Rules.

**(VII) Terms and Conditions.**—(a) The contractual appointee will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 8910/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band plus grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 267/- (3% of the minimum of pay band plus grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service. However, the contract appointee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days Special Leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Woman candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of the pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

**16. Reservation.**—The appointment to this service shall be subject to orders regarding reservation in the services for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

**17. Departmental Examination.**—Not applicable.

**18. Powers to relax.**—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

ANNEXURE-“B”

**FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE ELECTION KANUNGO AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH CHIEF ELECTORAL OFFICER, HIMACHAL PRADESH**

This agreement is made on this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ in the year \_\_\_\_\_ Between Shri/Smt./Km. \_\_\_\_\_ S/o/W/o/D/o Shri. \_\_\_\_\_ r/o \_\_\_\_\_ Contract Appointee (here-in-after called the **FIRST PARTY**) AND the Governor, Himachal Pradesh through Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the **SECOND PARTY**).

Whereas, the **SECOND PARTY** has engaged the aforesaid **FIRST PARTY** and the **FIRST PARTY** has agreed to serve as a **Election Kanungo** on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the **FIRST PARTY** shall remain in the service of the **SECOND PARTY** as a Election Kanungo on contract basis for a period of one year commencing on day of \_\_\_\_\_ and ending on the day of \_\_\_\_\_. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the **FIRST PARTY** with **SECOND PARTY** shall *ipso-facto* stand terminated on the last working day *i.e.* on \_\_\_\_\_ and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period on year to year basis, the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the **FIRST PARTY** will be Rs. .... per month.
3. The service of **FIRST PARTY** will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

4. Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service. However, the contract appointee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days Special Leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC *etc.* No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of the pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. ....  
 .....  
 .....



(Name and full address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. ....  
.....  
.....

(Name and full address)

(Signature of the SECOND PARTY)

**In the Court of Arindam Chaudhary, I.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional  
Magistrate, Hamirpur, Himachal Pradesh**

In the matter of :

Ramesh Kumar aged 46 years s/o Shri Bhagi Rath Chand, r/o Village Tuklehra, P.O. Bari,  
Tehsil & District Hamirpur (H.P.)

and

Santosh Kumari aged 39 years d/o Shri Ajudhya Dass, r/o Village Galot, P.O. Changar,  
Tehsil & District Hamirpur (H.P.) ..Applicants

*Versus*

General Public

Subject.— Notice under Special Marriage Act, 1954.

Ramesh Kumar and Santosh Kumari have filed an application under Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavit and other documents in the court of undersigned in which they stated that they have solemnized marriage on 21-05-2017.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection for this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 29-07-17. The objection received after 29-07-17 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 28-06-2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

ARINDAM CHAUDHARY, I.A.S.,  
Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,  
Hamirpur (H.P.).